न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनिता मीणा R.A.S.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 55/2020 पुराना, 70/2023 नया दायर तारीख :– 17.12.2020

1. नेमीचन्द पुत्र भूरा जाति अहीर निवासी रेनवाल तहसील कि.रेनवाल जिा जयपुर राज0(फौत)
   1/1. सोनी देवी पत्नी स्व0 नेमीचन्द
   1/2 बनवारी पुत्र स्व0 नेमीचन्द
   1/3 अशोक पुत्र स्व0 नेमीचन्द
   समस्त जाति अहीर निवासी अहीरों की ढाणी कि0 रेनवाल
   1/4 केवली देवी पुत्री स्व0 नेमीचन्द पत्नी जगदीश यादव जाति यादव निवासी सुंदरपुरा पो0 रामजीपुरा कलां तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर
   1/5 संतरा पुत्री स्व0 नेमीचन्द पत्नी जगदीश प्रसाद यादव जाति अहीर निवासी अहीरों की ढाणी प्रतापपुरा कलां तहसील आमेर जिला जयपुर
   1/6 मोहनी पुत्री स्व0 नेमीचन्द पत्नी लालचन्द यादव जाति अहीर निवासी रामसहाय की ढाणी तन मुंडिया पो0 घिनोई तह0 आमेर
   1/7 सुशीला पुत्री स्व0 नेमीचन्द पत्नी सुभाष चन्द यादव निवासी मुंडिया पो0 घिनोई तहसील आमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजादेवी पत्नि नंदाराम जाति कुमावत निवासी रेनवाल तहसील कि.रेनवाल जिला जयपुर।
2. जयपुर विद्युत वितरण लि.जरियेः–
   (क) सहायक अभियंता , जयपुर विद्युत वितरण लि. कि.रेनवाल
   (ख) अधिशाषी अभियंता ,जयपुर विद्युत वितरण लि. साभंरलेक

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री लक्ष्मण सिंह , विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री जयंत चौधरी विद्ववान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

निर्णय

निर्णय दिनांक 25/06/25

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा न. 509 रकबा 4. 8177 है. वाकै ग्राम रेनवाल तहसील कि.रेनवाल जिला जयपुर राज. मे स्थित है जिस मे वादी का 2/127 हिस्सा है। जिस पर वादी अपने हक व हिस्से की जमीन पर मौके पर काबिज चला आता रहा है और शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आया है वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीया सं. 01 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है और ना ही उक्त कृषि भूमि की किसी भी प्रकार से किस्म परिवर्तन हुई है। उक्त भूमि खाली पड़ी हुई है। उक्त भूमि से प्रतिवादीया सं. 01 का कभी कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है ना ही कभी प्रतिवादीया सं. 01 का कब्जा रहा है। बल्कि उक्त भूमि पर मौके पर वादी का ही कब्जा हमेशा रहा है चूकि उक्त भूमि वादी की खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चली आ रही है वादी का वर्तमान में जानकारी हुई प्रतिवादीया सं. 01 ने वादी के हक हिस्से व खातेदारी की जगीन पर नाजायज रूप से दुकानों का निर्माण कर दिया। जब वादी ने इस सम्बन्ध मे प्रतिवादीया सं. 01 को औलमा दिया तो प्रतिवादीया सं. 01 ने कहा कि हमसे गलती हो गयी हम हमारे निर्माण को हटा लेगे । लेकिन दिनांक 10.12.2020 को जब वादी ने प्रतिवादीया स. 01 को दुबारा औलमा दिया तो प्रतिवादीया सं. 01 ने वादी को धमकी ई कि यह निर्माण नही हटेगा और इसमे हम विद्युत कनेक्शन जो दुकानो उपर हमने कमरा बनाया है उसमें

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

लेकर दुकानो मे भी उक्त कनेक्शन से बिजली का उपयोग करेगे और तुम्हे तुम्हारे हक व हिस्से की जमीन में नही घुसने देगें हम हमारा कब्जा ही बनाये रखेगे इसलिए वादी को यह वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 01 की ओर वकील जयंत चौधरी उपस्थित हुये तथा जवाब पेश किया । जो संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पति नन्दाराम को जरिये इकरारनाम प्राप्त हुई है तब से प्रतिवादी संख्या 01 काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 ने विवादित आराजी पर मकान बनाम रखे है। तथा मकानो के निचे पुख्ता दुकाने बनाम रखी है। जो अपने हक व हिस्से की भूमि में बना रखी ळै। प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 (क,ख) से दुकानो व उपर बने कमरों में विद्युत कनेक्शन लेना चाहती है। जो कि विद्युत कनेक्शन एक मूलभूत आवश्यकता की श्रेणी में आता है। व अप्रार्थी ने अपने अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि राजीनामा दिनांक 13.10.1960 की स्वीकोरिक्ती बाबत दिनांक 17.09.2021 को एक इकरारनामा कानाराम, देवाराम की कृषि भूमि पर जाने के रास्ते में जो मन्ना , भूरा कुम्हार की आराजी खसरा नम्बर 434 में जो बने हुये है को मन्ना , भूरा कुम्हार हटा लेंगे। तथा देवा, काना अहीर इन बाडो की एवज में अपने कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 509 की भूमि में से बाडोतियों के नाम की डेढी भूमि अर्थात 6 बिस्वा भूमि भूरोदिया की ढाणी से लगवा होकर पचार रोड तक देगें। व मौके पर पंचो ने साथ रहकर उक्त 6 बिस्वा भूमि डोल लगवा मन्ना, भूरा कुम्हार को संभला दी थी। इसके सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 के पति नन्दाराम को प्राप्त हुई उसके पश्चात से प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रही है। कानाराम का नेमीचन्द काका लगता है तथा काना के वारिसा रामनारायण , संतोष,मालीराम व देवाराम के वारिस मूलचन्द, श्रवणलाल, प्रहलाद ने भी इस सम्बन्ध में राजीनामा दिनांक 13.10. 1960 की स्वीकोरिक्ती बाबत दिनांक 17.092021 को लिखकर दिया है व अपने हस्ताक्षर किये है। प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादग्रस्त आराजीयात पर नीचे दुकाने व उपर पुख्ता मकान बनाकर उनका उपयोग उपभोग कर रही है। इसलिए इन पुख्ता दुकानों व मकानों में विद्युत कनेक्शन आवश्यक है जो कि एक मूल सुविधाओ की श्रेणी में आता है। जिसको वादी रूकवाये जाने का अधिकारी नहीं है। सामाजिक बंटवारा के मुताबिक खसरा नम्बर 509 में से 6 बिस्वा जमीन वादी के अतिरिक्त छोड दी थी मुताबिक सामाजिक बंटवारानाम वादी ने पहले तो देने के लिए लेकिन अब देने में आनाकानी कर रहा है। वादी ने उक्त वाद व प्रार्थना पत्र कतई गलत आधारों पर पेश किया है। वादी स्पष्ट हाथों से न्यायालय में नहीं आया है तथा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है। जवाब के मद नम्बर 4 में यह अंकित किया है। प्रतिवादी सख्या 1 के द्वारा सहायक अभियंता विद्युत वितरण निगम लि0 कि0 रेनवाल में नये कनेक्शन के लिए आवेदन किया था जिस पर निगम द्वारा नियमानुसार पत्रावली को स्वीकार की गई तथा कनेक्शन जारी करने पर आपत्ति दर्ज करवायी जाने पर सहायक अभियंता जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा पत्र क्रमांक 4147 दिनांक 18.12.2020 द्वारा स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वामित्व दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर कार्यालय पत्रांक 4268 दिनांक 30.12.2020 द्वारा विद्युत कनेक्शन की पत्रावली निरस्त कर दी गई व अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 निगम है जिसके विरूद्ध वाद पेश किये जाने से पूर्व दो माह का गियादी नोटिस धारा 80 सीपीसी के तहत दिया जाना आवश्यक है। वादी ने कोई नोटिस नहीं दिया है। जिसके अभाव में वाद व प्रार्थना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ-रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

पत्र अस्थायी निषे0 कानूनन चलने योग्य नहीं है।विद्युत विभाग से सम्बन्धित विवादों के निस्तारण सहायक अभियंता कार्यालय स्तर पर समझौता समिति का गठन कर रखा है। प्रस्तुत वाद में वादी ने समझौता समिति के समक्ष कोई विवाद प्रस्तुत नहीं किया है जिसके अभाव में प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की सुनवाई का मान्य न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

4. बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी ने घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व बहस से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात का में प्रतिवादी के द्वारा निर्माण किया आगे भी भविष्य हो सकता है। व विद्युत कनेक्शन हेतु भी आवेदन किया है। जिससे विद्युत विभाग के द्वारा खारिज कर दिया गया है। प्रतिवादी के द्वारा भविष्य में निर्माण से तथा विद्युत कनेक्शन से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

वादग्रस्त भूमि पर भविष्य से निर्माण से व विद्युत कनेक्शन से इंकार नहीं किया जा सकता है जिस कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति व असुविधा होगी। सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

इसलिए वादग्रस्त भूमि में दौरानें वाद यथास्थिति कायम रखना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता तथा दिनांक 17.12.2020 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की मूल वाद के निस्तारण तक पुष्टि की जाती है।

निर्णय दिनांक 25/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़रेनवाल
कि0रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-रेनवाल सत्यमेव जयते